न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–76/2016 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. रहमान पुत्र नूरमोहम्मद जाति मेव निवासी ग्राम दादर तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र श्री भीम सैन,
2. सतीश चन्द पुत्र श्री भीम सैन – मृतक
   2/1. अनीता पत्नि स्व0 श्री सतीश चन्द,
   2/2. आकाश पुत्र स्व0 श्री सतीश चन्द,
   2/3. विकास पुत्र स्व0 श्री सतीश चन्द,
   2/4. ज्योति पुत्री स्व0 श्री सतीश चन्द,
3. बृजलाल पुत्री श्री भीम सैन,
4. प्रेमवती बेवाह श्री भीम सैन,
5. रोहित कुमार नाबालिग पुत्र श्री कुन्दनलाल सरपरस्त माता सुषमा देवी पत्नि स्व0 श्री कुन्दनलाल,
6. रक्षा शर्मा नाबालिग पुत्री स्व0 श्री कुन्दनलाल सरपरस्त माता सुषमा देवी ।
7. सुषमा देवी पत्नि स्व0 श्री कुन्दनलाल जाति कश्मीरी ब्राह्मण निवासी ग्राम दादर तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0 ।

..... रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–
1. श्री के0के0 रायजादा, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री राजबहादुर जांगिड़ अभिभाषक रेस्पो0 ।

25/7/18

::: निर्णय :::

दिनांक :–25.09.2018

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम दादर में स्थित वादीगण की कब्जे काश्त व गैर खातेदारी की आराजी ख0 नं0 25 रकबा 19 ऐयर में से 3 ऐयर व ख0 नं0 26 रकबा 26 ऐयर में प्रतिवादी आये दिन वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में मजाहमत करते हैं व वादीगण को जबरन बेदखल करके कब्जा करने की धमकी देते हैं । दि0 22.12.2014 को भी प्रतिवादी मौके पर आकर वादीगण को जबरन बेदखल कर विवादित आराजी पर कब्जा करने का प्रयास किया व धमकी दी । यदि प्रतिवादी अपनी धमकी में सफल हो गये तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी । इसलिए प्रतिवादी को विवादित आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त, कुल कार्य काश्तकारी में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया लेकिन प्रतिवादी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ तथा न ही जवाब पेश किया । पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश होने पर प्रतिवादी का पौत्र उपस्थित व प्रतिवादी अनुपस्थित । विद्वान तहत न्यायालय ने कैम्प कोर्ट में बहस सुनकर दि0 13.06.2016 को वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 13.06.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि वादी / रेस्पो0 ने तहत न्यायालय में धारा 188 आर.टी.एक्ट का दावा पेश किया । दि0 29.12.2014 की आदेशिका व वाद की आदेशिका दि0 13.06.2016 के आदेश का अवलोकन कराया । कैम्प कोर्ट के लिए नोटिस दिनांक 15.06.2016 नियत थी और आदेश दि0 13.06.2016 को ही तहत न्यायालय द्वारा सुना दिया गया । यह कैसे सम्भव है कि नियत दिनांक 15.06.2016 के स्थान पर दि0 13.06.2016 को अपीलांट न्यायालय में कैसे पहूंचेगा । कोई साक्ष्य नहीं है तथा न ही कोई दस्तावेज एक्जीविट कराये हैं । तहत न्यायालय ने अपने निर्णय में लिखा कि पौता पहुंचा जबकि वह पक्षकार नहीं है । गांव वालों को सुनकर तहत न्यायालय ने निर्णय सुनाया है ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस जारी रखते हुए मैरिट पर कहा कि अशोक ने पूर्व में एक दावा गोकुल पर किया उसमें राजीनामा लिखा कि ख0 नं0 25 पर गोकुल का कब्जा है

25/9/18

और वह छोड़ दिया है । कैम्प कोर्ट में आवेदन वादी ने किया कि 1.03 बीघा पर कब्जा नहीं होना माना है जबकि दावा डिक्री 25 नम्बर जो पहले ही छोड़ दिया है का बिना किसी साक्ष्य के डिक्री गलत किया है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है और अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया । उन्होंने अपने समर्थन में 2003 पेज 669 पेश की ।

जवाब बहस में अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि आराजी ख0 नं0 25 रकबा 19 ऐयर में से 3 ऐयर व आराजी ख0 नं0 26 रकबा 28 ऐयर कुल रकबा 29 ऐयर का रेस्पो0 खातेदार है तथा 29 ऐयर के लिए ही तहत न्यायालय ने अपीलांट को पाबन्द किया है । तहत न्यायालय का आदेश दि0 13.06.2016 का है और अपीलांट ने अपील 26.08.2016 को मियाद बाहर पेश की है । मियाद प्रार्थना पत्र में कोई उचित कारण अपीलांट ने दर्शित नहीं किये हैं । स्वयं की अनपुस्थिति कहते हैं परन्तु पौता अदालत में पैरवी करता हैं । कैम्प में जावेद के हस्ताक्षर है । जावेद ने स्वयं कैम्प में कहा है कि भविष्य में इन खसरा नम्बर में मजाहमत नहीं करेंगे । तारीख पेशी दि0 15.06.2016 को फर्जी तारीख बताया है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री सही है और अपीलांट की अपील खारिज योग्य है । उन्होंने अपने समर्थन में आर.बी.जे. 2010 पेज 289, एस.सी. 2010 पेज 430, आर.आर.डी. 2012 पेज 276 व आर.बी.जे. 2014 पेज 623 पेश की ।

हमने अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.06.2016 का अवलोकन किया तथा पेश कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया ।

तहत न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि अपीलांट को दिये गये नोटिस में कैम्प कोर्ट की तारीख पेशी दिनांक 15.06.2016 नियत की है । यह भी पत्रावली में पाया है कि प्रकरण में न तो साक्ष्य ही ली है और न ही उभयपक्षों को सुना गया । तहत न्यायालय का निर्णय गुणावगुण पर नहीं होना पाया जाता है । कैम्प कोर्ट में पक्षकार स्वयं के उपस्थित नहीं होने से भी सही तथ्य पत्रावली पर नहीं आ पाये हैं । अतः तहत न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है । जहां तक अपीलांट के प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम का प्रश्न है । प्रार्थना पत्र में अंकित कारण पर्याप्त हैं । अतः प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य है और प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, अलवर के निर्णय व डिक्री दि0 13.06.2016 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण तहत न्यायालय सहायक कलक्टर, अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रतिवादी/अपीलाट को सुनवाई व साक्ष्य का युक्तियुक्त अवसर देकर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें । उभयपक्ष तहत न्यायालय में दिनांक 01.11.2018 को उपस्थित हो । खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें ।

25/9/18

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/9/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर